<u>न्यायालय– के. एस. मेड़ा, द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)</u>

Registration No. :-	BA/192/2026
Filing No. :-	882/2026
CNR No. :-	MP07-0600001392-2026
Date of Registration	07-05-2026
Name of Police Station :-	Chinor, Dist. Gwalior
Crime Number :-	45/2026
offences u/s	34(2) आबकारी एक्ट

धर्मेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री रामसिंह कुशवाह, आयु 35 वर्ष, निवासी कुशवाह मौहल्ला चीनौर, थाना चीनौर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

.......आवेदक/आरोपी

//विरूद्ध//

पुलिस थाना चीनौर जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

......अनावेदक/अभियोगी

<u>आदेश दिनाँक 11.05.2026 की सत्यप्रतिलिपि</u>

आवेदक/अभियुक्त धर्मेन्द्र कुशवाह द्वारा श्री यश कुशवाह अधिवक्ता उपस्थित।

अभियोजन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री मनोज तिवारी उपस्थित।

प्रकरण अभिलेख प्राप्ति/जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

पुलिस थाना चीनौर के अपराध क्रमांक 45/2026 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी एक्ट की मय केस डायरी के प्रस्तुत।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम 483 बी.एन.एस.एस. का नियमित जमानत आवेदन पत्र है। अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है, न ही निरस्त किया है। आवेदन के समर्थन मे। सतेन्द्र कुशवाह पुत्र रामसिंह कुशवाह, आयु 27 वर्ष, निवासी– ग्राम चीनौर,

तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर म.प्र. ने अपना शपथ पत्र पेश किया है, जिसने आवेदक को रिश्ते में अपना बड़ा भाई होना बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव अपील क्रमांक–555 /2023 रविश कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार में पारित आदेश दिनांक 15/03/2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर के एम0सी0सी0 नम्बर 8227/2023 दीपक यादव विरूद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 01/04/2023 के पालन में जानकारी निम्नानुसार है–

1–	आरक्षी केन्द्र का नाम	थाना चीनौर
2–	अपराध क्रमांक	45/2026
3–	अपराध जिस धारा के अंतर्गत दर्ज है	34 (2) आबकारी अधिनियम
4–	प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	03.05.2026
5–	घटना दिनांक	02.05.2026
6–	गिरफ्तारी	02.05.2026
8–	आपराधिक रिकॉर्ड	संलग्न है।

आवेदन पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना चीनौर द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 45/2026 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर आवेदक को बंदी बनाकर दिनांक 03.05.2026 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी महोदय भितरवर के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से आवेदक को न्यायिक निरोध में भेज दिया गया है, आवेदक तभी से न्यायिक निरोध में है। अभियोजन के अनुसार आवेदक पर करीबन 10 लीटर की कट्टी एवं 40 लीटर की कट्टी शराब रखे होने के आरोप बतलाए गए है। अभियोजन के अनुसार भी आवेदक पर करीबन 50 लीटर से कम शराब होने का लेख किया गया है। आवेदक के विरूद्ध अभियोजन का मामाल प्रमाणित नहीं है। अभियोजन के द्वारा बतलाए गए आरोप न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डबरा द्वारा विचारणीय है तथा आजीवन कारावास या

मृत्युदंड से दण्डनीय नहीं है तथा आवेदका द्वारा नियमित जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

आवेदक द्वारा अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सूची भी पेश की है, जो निम्नानुसार है :–

क्र.	एफआईआर	सेक्सन	पुलिस स्टेशन	जिला	स्टेट्स
1.	63/21	34 (1) आबकारी अधिनियम	चीनौर	ग्वालियर	निराकृत
2.	147/2024	323, 294, 506 भा.दं.वि.	चीनौर	ग्वालियर	लंबित
3.	193/2023	323, 294, 506 भा.दं.वि.	चीनौर	ग्वालियर	दोषमुक्त

अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया है कि आवेदक द्वारा गंभीर अपराध को कारित किया गया है तथा इसी आशय का संबंधित थाना की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त है तथा उक्त जमानत आवेदन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना चीनौर के प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह सेंगर ने दिनांक 02.05.2026 को मय प्र.आर. 1862 संदीप पाण्डेय, आरक्षक 2486 विनय विजाकर, आरक्षक 2746 बागीश यादव, आरक्षक विष्णु सिंह मय शासकीय वाहन के इलाका गस्त में था। इलाका गस्त करता हुआ ग्राम चीनौर भोगीराम की चक्की के पास पहुँचा तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि रिझौरा के पास नदी किनारे में एक व्यक्ति हाथ भट्टी की कच्ची शराब बना रहा है। मुखबिर की सूचना से हमराही फोर्स, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह गुर्जर को जरिये मोबाइल अवगत कराया जो कि उपस्थित आए व राहगीर साक्षी बिजेन्द्र सिंह परमार पुत्र राजेन्द्र सिंह परमार निवासी ग्राम दुबही थाना करहिया व छवराज पुत्र दयाराम साक्षीगण स्वतः चलने को तैयार हुए बाद मय हमराही फोर्स मय उक्त राहगीर साक्षियों के रवाना होकर समय करीब रात्रि 10.00 बजे मुखबिर के बताये

स्थान पर पहुॅचे और पेड़ों व झाड़ियों की आड़ में छुपकर देखा कि एक व्यक्ति हाथ भट्टी की कच्ची शराब बना रहा है एवं बनी हुई शराब को प्लास्टिक की नीले रंग की कट्टी में भर रहा है। बाद हमराही बल के साथ उक्त स्थान पर पहुॅचे तो उस व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया तथा पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना धर्मेन्द्र पुत्र रामसिंह कुशवाह आुय 40 साल निवासी कुशवाह मौहल्ला चीनौर थाना चीनौर जिला ग्वालियर का होना बताया। बाद मौके पर एक 10 लीटर करीबन की सफेद रंग की कट्टी व एक 40 लीटर करीबन एक प्लास्टिक की नीले रंग की कट्टी में रखी हुई थी। उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षियों व फोर्स के समक्ष दोनों कट्टियों के ढक्कन को खोलकर चैक किया तो उक्त दोनों कट्टियों में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब की तीखी गंध आई व उक्त साक्षीगणों व हमराही फोर्स को सुंघाया दिखाया तो हमराही फोर्स व उक्त साक्षीगणों द्वारा उक्त कट्टियों में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब होने की पुष्टि की, तब उक्त पकड़े गये व्यक्ति धर्मेन्द्र कुशवाह से शराब रखने व बेचने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा तो न होना बताया। बाद मौके पर आरोपी धर्मेन्द्र कुशवाह ने पंचानों के समक्ष देशी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब से भरी दोनों प्लास्टिक की कट्यिां जिनमें 10 व 40 लीटर कुल 50 लीटर करीबन शराब कीमती 5000/- रूपये, मौके पर ही शराब बनाने का अन्य सामान एक ड्रम, एक एल्यूमीनियम जैसा भगोना जो नीचे से कटा है, भगोना के बगल से प्लास्टिक की नली लगी है। कीमती करीबन 5000/- रूपये मौके पर जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया व लहान आदि कीमती करीबन 80,000/- रूपये को मौके पर ही नष्ट किया गया एवं उक्त जप्तशुदा शराब भरकर बतौर सैम्पल उपरोक्त समक्ष पंचानों के जप्त कर सील्ड की गई व जप्ती चिट चस्पा की तथा आरोपी का यह कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय होने से आरोपी को उपरोक्त समक्ष पंचान गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। बाद मय हमराही बल, मय जप्तशुदा शराब मय गिरफ्तारशुदा आरोपी के रवाना होकर वापस थाना आये, वापसी पर गिरफ्तार शुदा आरोपी को बंदी हवालात कर एचसीएम को सुपुर्द

किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना चीनौर पर अपराध क्रमांक 45/2026 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया।

केस डायरी एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। केस डायरी एवं पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त धर्मेन्द्र कुशवाह पर हाथ भट्टी की शराब अपने आधिपत्य में रखने/बेचने का आक्षेप है, जिस कारण आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना चीनौर के अपराध क्रमांकक्रमांक 45/2026 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध हुआ है। आवेदक/अभियुक्त से दो कट्टियों में कुल 55 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त हुई है। इस संबंध में म.प्र. आबकारी अधिनियम, धारा 59 ए यह प्रावधान करती है कि यदि किसी अभियुक्त पर 50 वल्क लीटर से अधिक शराब जब्त किये जाने का आरोप है, तब उसे जमानत पर तब तक छोड़ने का आदेश नहीं किया जायेगा, जब तक लोक अभियोजक को आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो।

यदि लोक अभियोजक के द्वारा आवेदन का विरोध किया जाता है, तब अभियुक्त को जमानत तभी दी जा सकेगी, जबकि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। यह कि जब वह जमानत पर हो, तब यह संभावना नहीं है कि वह कोई अपराध करेगे, किन्तु वर्तमान मामले में उपरोक्त आधार प्रकट होना परिलक्षित नहीं होता है।

अतः प्रकरण के उक्त तथ्य, परिस्थिति एवं विधिक स्थिति को देखते हुए आवेदक/आरोपी को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

फलतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस. निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर केस डायरी वापस की जाये।

संशोधित मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 117 ख के अनुसार जमानत आदेश एवं पुलिस प्रतिवेदन की एक—एक प्रति आवेदक/आरोपी को प्रदान की

जावे।

इस जमानत याचिका का परिणाम पंजी में अंकित कर सीआईएस पंजीयन से कम किया जाकर विहित समयावधि में अभिलेखागार में संचित किया जावे।

सही / –

के. एस. मेड़ा

द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश,
डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

<u>प्रतिलिपिः–ः</u>

1. जमानत आदेश की एक सत्यप्रतिलिपि केस डायरी के साथ संलग्न केर केस डायरी वापस की जाये।
2. जमानत आदेश की एक सत्यप्रतिलिपि आवेदक /अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

के. एस. मेड़ा

द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश,
डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

KALAM SINGH MEDA
Digitally signed by KALAM SINGH MEDA
Date: 2026.05.11 16:43:37 +0530